

**न्यायालय :-अमनदीप सिंह छाबडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
बैहर, जिला-बालाघाट (म.प्र.)**

आप. प्रक. क.-733 / 2014

संस्थित दिनांक-14.08.2014

फा.नंबर-234503005072014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-मलाजखंड,

जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोजन

// विरुद्ध //

राजुमसिंह पिता कतिया उर्फ साहबसिंह, उम्र-34 साल, जाति गोंड,

निवासी ग्राम जैरासी थाना बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — आरोपी

// निर्णय //

**(आज दिनांक-07/09/2017 को घोषित)**

**01-** आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-02.08.2014 को समय दिन के करीब 4:00 बजे ग्राम पण्डरापानी थाना मलाजखंड अंतर्गत फरियादी श्यामलाल को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व दूसरों को क्षोभ कारित कर आहत श्यामलाल को लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।

**02-** संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक 02.08.2014 को प्रार्थी श्यामलाल को आरोपी राजुम ने लगभग दिन के 4:00 बजे उसकी जमीन अधिया कमाउंगा कहने पर प्रार्थी श्यामलाल के द्वारा जमीन कमाने देने से मना करने पर आरोपी ने प्रार्थी को माँ-बहन की गंदी-गंदी गालियों देकर हाथ में रखी लकड़ी से मारपीट किया, जिससे उसे नाक, बांये हाथ की कलाई, बांय पैर के घुटने के नीचे चोटें आई, जिससे खून निकल रहा था और दर्द हो रहा था। आहत श्यामलाल का मुलाहिजा करवाया गया। उक्त घटना को हरिराम एवं श्यामलाल ने देखे सुने है। उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर अपराध क्रमांक-118/14 अंतर्गत धारा-294, 323 भा.दं.सं. के अंतर्गत पंजीबद्ध कर

विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान प्रार्थी एवं गवाहों के कथन लेख किये गये। घटनास्थल का मौका नक्शा, जप्ती की कार्यवाही तथा आरोपी को गिरफ्तार कर जमानत मुचलके पर रिहा किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र क्रमांक 115/14 दिनांक 09.08.2014 को तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।

**03—** आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया।

**04—** प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

01. क्या आरोपी ने दिनांक-02.08.2014 को समय दिन के करीब 4:00 बजे ग्राम पण्डरापानी थाना मलाजखंड अंतर्गत फरियादी श्यामलाल को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे व दूसरों को क्षोभ कारित किया ?
02. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत श्यामलाल को लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

### विवेचना एवं निष्कर्ष

#### विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01, एवं 02

**नोट—**सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य की पुनरावृत्ति रोकने के आशय से दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

**05—** साक्षी हरिलाल अ.सा.01 ने कहा है कि वह आरोपी राजुम सिंह तथा आहत श्यामलाल को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से एक वर्ष पूर्व की है। जब वह अपने खेत से बरसात होने के कारण दिन के लगभग 8:00 बजे घर आया था, तो उसने देखा कि उसके घर के फाटक पर आहत श्यामलाल पड़ा हुआ था, तो उसने उसे उठाकर अपने घर जाने को कहा था, तो वह अपने घर

चला गया था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। आज से लगभग दो-तीन माह पूर्व श्यामलाल बीमारी के कारण खत्म हो गया। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन पक्ष के इन सुझावों से स्पष्ट इंकार किया कि आहत श्यामलाल ने उसे बताया था कि उसके द्वारा अधिया कमाने से मना करने पर आरोपी राजुम ने उसे लकड़ी से मारपीट किया था, आहत श्यामलाल के नाक, बांये हाथ एवं बांये पैर में चोट लगी थी, उसने पुलिस को प्र.पी.01 का ए से ए भाग का कथन दिया था तथा वह आरोपी से मिल गया है इसलिये असत्य कथन कर रहा है।

**06—** साक्षी मंगलसिंह अ0सा0-03 ने कहा है कि वह न्यायालय में उपस्थित आरोपी को जानता है। प्रार्थी श्यामलाल उसका रिश्ते में काका लगता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से एक वर्ष पूर्व की है। घटना दिनांक को श्यामलाल उसके पास आया और उसे कहने लगा कि जैरासी वाले से झगड़ा हो गया है, थाना चलना है तो वह श्यामलाल को साईकिल पर बैठाकर थाना मलाजंखंड लेकर गया था। श्यामलाल ने उसे अपने हाथ और पैर में लगी चोट दिखायी थी। उसे श्यामलाल ने मारने वाले व्यक्ति का नाम नहीं बताया था, गांव का नाम बताया था। उसके सामने श्यामलाल ने थाना मलाजंखंड में रिपोर्ट लिखाई थी, जिसमें उसने जैरासी का राजुम के द्वारा मारपीट करने की बात लिखाई थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया कि सामान्यतः जब कोई घर पर आता है और उसे चोट लगी हो तो चोट का कारण पूछा जाता है, उसके द्वारा श्यामलाल से चोट कैसे आई पूछा गया था, तब श्यामलाल ने पूछने पर उसे बताया था कि ग्राम जैरासी के राजूम धुर्वे ने खेत का अधिया की बात को लेकर माँ-बहन की गंदी-गंदी गाली देकर हाथ में रखी लकड़ी से मारपीट करना बताया था, श्यामलाल ने उसे बांये हाथ एवं बांये पैर और नाक में चोट आना बताया था और

उसने भी उक्त चोटें देखा था, श्यामलाल रात्रि में उसके घर रुक गया था और दूसरे दिन उसके साथ थाना मलाजखंड जाकर आरोपी राजुम के विरुद्ध में रिपोर्ट लेख कराया था, आहत श्यामलाल का इलाज पुलिस ने मोहगॉव अस्पताल में कराया था, साथ में वह भी गया था।

**07—** साक्षी मंगलसिंह अ0सा0-03 ने अभियोजन पक्ष के इस सुझाव को अस्वीकार किया कि वह आरोपी से मिल गया है इसलिये आरोपी राजुम का नाम नहीं बता रहा है, किन्तु यह स्वीकार किया कि उसने पुलिस को अपना कथन प्रपी.03 देते समय उक्त बातें बता दिया था, चोट से ग्रसित व्यक्ति चोट पहुँचाने वाले व्यक्ति का ही नाम बताता है, श्यामलाल ने आरोपी राजुम के द्वारा मारपीट करने वाली बात बताया था। वर्तमान में श्यामलाल की मृत्यु हो चुकी है। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसे श्यामलाल ने आरोपी राजुम निवासी जैरासी के द्वारा मारने से चोट आने वाली बात बताया था तथा गिरने से चोट आने वाली बात नहीं बताया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि श्यामलाल की उम्र लगभग 70 वर्ष है, श्यामलाल अक्सर शराब के नशे में रहता था, घटना दिनांक को भी श्यामलाल उसके घर शराब पीकर आया था, शराब की वजह से ही श्यामलाल ने गिरने से लगी चोट दिखाई थी, आरोपी के साथ उसने श्यामलाल का झगड़ा होते नहीं देखा था, उसने आरोपी के द्वारा गाली-गलौच देने वाली बात सुनी थी, वह नहीं बता सकता कि श्यामलाल नशे की हालत में सही बात बता रहा था या नहीं और आरोपी ने श्यामलाल के साथ मारपीट की थी या नहीं, किन्तु यह अस्वीकार किया कि उसे श्यामलाल ने गिरने से चोट आने वाली बात बताई थी। यह स्वीकार किया कि श्यामलाल आरोपी का नाम झूठा बता रहा हो तो वह नहीं बता सकता।

**08—** डॉ० साक्षी एल.एन. उइके अ.सा.02 ने कहा है कि वह दिनांक 03.08.2014 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहगॉव में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आरक्षक जीवनसिंह क्रमांक 180 द्वारा पुलिस

थाना अस्पताल से पीड़ित श्यामलाल पिता झरियार उम्र-70 वर्ष, जाति गोंड, साकिन पंडरापानी को चिकित्सा परीक्षण हेतु उसके समक्ष लाया गया था। परीक्षण करने पर निम्न दो चोटें पाई गई थी, जिसमें एक फटा हुआ घाव, जो अनियमित आकार का था और वह बांये हाथ में स्थित था तथा खरोंच अनियमित आकार जो कि उसके नाक के उपर स्थित था। उसके मतानुसार आहत को आई दोनों चोटें कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आना प्रतीत होती थी तथा साधारण प्रकृति की थी तथा उसके परीक्षण के 12 से 24 घंटे के अंदर की थी। उक्त दोनों चोटें उसके परीक्षण के तीन से सात दिन के अंदर ठीक होने की संभावना थी, यदि किसी तरह की जटिलता उत्पन्न न हो तो। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.02 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उक्त दोनों चोटें खुरदुरी सतह पर गिरने से आ सकती थी।

**09—** साक्षी उमेश मिश्रा अ.सा.04 ने कहा है कि वह दिनांक 03.08.2014 को थाना मलाजखण्ड में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अपराध क्रमांक 118/14 अंतर्गत धारा-294, 323 की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही घटनास्थल पर जाकर प्रार्थी श्यामलाल की निशादेही पर घटनास्थल का नजरी-नक्शा तैयार किया था, जो प्र.पी.03 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा प्रार्थी श्यामलाल, गवाह हरीलाल, मंगलसिंह के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था। विवेचना के दौरान उसके द्वारा दिनांक 08.08.14 को आरोपी राजुमसिंह द्वारा थाना मलाजखण्ड लाकर पेश करने पर एक लकड़ी का डंडा लम्बाई तीन फिट, मोटाई पांच इंच गवाह चैनसिंह एवं नूर मोहम्मद के समक्ष जप्त कर, जप्ती पत्रक प्र.पी04 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी राजुमसिंह को उक्त गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी05 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत उसके द्वारा अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि उसके



द्वारा मौका-नक्शा घटनास्थल पर न जाकर थाने में ही बैठकर तैयार किया गया था, उसके द्वारा गवाहों के कथन उनके बताये अनुसार लेख न कर अपने मन से लेख किया था, उसके द्वारा अभियुक्त से कोई जप्ती नहीं की गई थी, उसके द्वारा आरोपी को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार नहीं किया गया था, उसके द्वारा प्रार्थी श्यामलाल से मिलकर अभियुक्त को फंसाने के लिए गलत विवेचना की गई है।

**10—** उपरोक्त साक्ष्य से घटना के समय आहत श्यामलाल को चोटें आना दर्शित है, परंतु क्या उक्त चोटे आरोपी द्वारा कारित की गई। उक्त संबंध में साक्ष्य का पूर्णतः अभाव है। प्रकरण के परिवादी श्यामलाल के मृत होने के कारण साक्ष्य नहीं कराई जा सकी है तथा अन्य किसी भी साक्षी ने घटना को नहीं देखा है। घटना के दोनों साक्षीगण ने घटना के समय श्यामलाल को घायल अवस्था में देखने के कथन किये हैं, परंतु घटनास्थल पर आरोपी की उपस्थिति के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है। किसी भी साक्षी ने घटना को नहीं देखा है। साक्षी मंगलसिंह अ.सा.03 ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि घटना के समय आहत शराब के नशे में था तथा उसने शराब की वजह से गिरने के कारण लगी चोट दिखाई थी तथा चिकित्सक साक्षी डॉ० उईके अ.सा.02 ने भी प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि कठोर स्थान पर गिरने से आहत को आई चोटें आ सकती है। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव में मात्र विवेचक साक्षी की साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध कोई प्रतिकूल उपधारणा नहीं की जा सकती, जिससे यह प्रमाणित नहीं होता कि घटना के समय आरोपी द्वारा आहत को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर क्षोभ कारित कर स्वेच्छया उपहति कारित की गई। अतः अभियुक्त राजुमसिंह को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294 एवं 323 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

**11—** अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

**12—** प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति लकड़ी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के

आदेश के पालन हो।

**13—** अभियुक्त विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में नहीं रहा हैं, इस संबंध में धारा 428 जा0फौ0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही/—  
(अमनदीप सिंह छाबड़ा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

सही/—  
(अमनदीप सिंह छाबड़ा)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)